

# संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

## फार्मसी (B.Pharm./D.Pharm.) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर. (सत्र 2010-11)

### ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग का कार्यक्रम एवं विस्तृत प्रक्रिया (तृतीय चरण)

द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के उपरांत रिक्त रह गई सीटों के लिये पीईपीटी-2010 के प्रवेश नियमों में दिये गये प्रावधानों के आधार पर अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार तालिका में दिये गये कार्यक्रमानुसार ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग में इंटरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गाँव से, अधिकृत सहायता केन्द्रों से अथवा एमपीऑनलाइन के मध्यप्रदेश स्थित किसी भी कियोस्क से वेबसाइट [www.dtempcounselling.org](http://www.dtempcounselling.org) या [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं। अधिकृत सहायता केन्द्रों-सह-कियोस्क केन्द्रों की सूची उपरोक्त दोनों वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

### तृतीय चरण की ऑनलाइन काउंसिलिंग में कौन सम्मिलित होंगे ?

तृतीय चरण की ऑनलाइन काउंसिलिंग में निम्नलिखित उम्मीदवार सम्मिलित हो सकते हैं:-

- ❖ जो अर्हकारी परीक्षा 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा (Chemistry, Physics, Biology/Maths) विषय के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हो तथा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर बी.फार्मसी/डी.फार्मसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेना चाहते हैं।

नोट:- ओपेन स्कूल से उत्तीर्ण उम्मीदवार फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार बी.फार्मसी/डी.फार्मसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र नहीं हैं।

### तृतीय चरण की ऑनलाइन काउंसिलिंग में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं ?

ऑनलाइन काउंसिलिंग में उम्मीदवार निम्नलिखित किसी भी माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं:-

#### सारणी क्रमांक 1

#### इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के विकल्प

- अपने घर में इंटरनेट की सुविधा होने पर घर से।
- निकटस्थ सहायता केन्द्रों (शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय/शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय/अशासकीय अनुदान प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालय राज्य शासन के स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय/अशासकीय अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय आदि (जिनकी सूची पते एवं दूरभाष क्रमांक सहित वेबसाइट [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) तथा [www.dtempcounselling.org](http://www.dtempcounselling.org) पर उपलब्ध है) में स्थित इंटरनेट के सुविधा केन्द्रों से।
- एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से (जिनकी सूची पते एवं दूरभाष क्रमांक सहित वेबसाइट [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर उपलब्ध है)
- उम्मीदवार के शहर/गाँव में स्थित इंटरनेट के माध्यम से।

website:- [www.dtempcounselling.org](http://www.dtempcounselling.org) or [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in)

## // समय-सारणी //

क्रमांक (STEPS)	क्या करना है?	निर्धारित तिथियां	कहां से ?
1	<b>ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना</b> (Submission of Online Application) समस्त श्रेणी/वर्ग के उम्मीदवारों के लिये	16/08/2010 से 23/08/2010 तक	अधिकृत सहायता केन्द्रों (Help Centres) से अथवा इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी
2	<b>दस्तावेजों का सत्यापन</b> (Documents Verification) समस्त श्रेणी/वर्ग के उम्मीदवारों के लिये	16/08/2010 से 24/08/2010 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य दिवसों में)	दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों (Help Centres) से कराना है जिसकी सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।
3	<b>मेरिट सूची की वेबसाइट पर उपलब्धता</b> (Availability of Merit List on Website)	25/08/2010	इंटरनेट पर
4	<b>ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना</b> (Online Registration, Preference Selection/Choice Filling and Locking) समस्त श्रेणी/वर्ग के उम्मीदवारों के लिये	26/08/2010 से 30/08/2010 की रात्रि 11.45 बजे तक	अधिकृत सहायता केन्द्रों (Help Centres) से अथवा इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी
5	<b>आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता</b> (Online availability of Allotment Letter) समस्त श्रेणी/वर्ग के उम्मीदवारों के लिये	02/09/2010 से 06/09/2010 को सांय 5 बजे तक	इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी
6	<b>आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश</b> (Reporting and Admission at Allotted Institution) (समस्त श्रेणी/वर्ग के उम्मीदवारों के लिये)	02/09/2010 से 06/09/2010 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक कार्य दिवसों में)	आवंटित संस्था में उपस्थित होकर

### 1. ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना (Submission of Online Application)

**समस्त श्रेणी/वर्ग के उम्मीदवारों को** सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उन्हें आवेदन पत्र में भरी गई जानकारीयों का एक प्रिंटआउट प्राप्त होगा जिसमें उनके Application Number (रोल नंबर) का उल्लेख होगा। उक्त प्रिंटआउट तथा समस्त मूल दस्तावेजों के साथ निकट के सहायता केन्द्रों पर जाकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर काउंसिलिंग में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन हेतु ₹ 550/- शुल्क का भुगतान करना होगा जबकि मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ₹ 300/- शुल्क का भुगतान करना होगा। इस शुल्क में ₹ 50/- पोर्टल शुल्क सम्मिलित है। **शुल्क का भुगतान अंतिम पृष्ठ में दर्शाये किसी भी माध्यम से किया जा सकता है।**

### 2. दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)

**ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट लेकर सभी श्रेणी/वर्ग के उम्मीदवारों को** सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजों का काउंसिलिंग प्राधिकारी द्वारा अधिकृत निकटस्थ सहायता केन्द्रों (Help Centres) जोकि प्रदेश के समस्त शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय/स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय (जिसकी सूची mponline की वेबसाइट में उपलब्ध है) में उपस्थित होकर आवेदन पत्र में दी गई जानकारीयों का सत्यापन करवाना होगा।

उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना है :-

- अर्हकारी परीक्षा की मूल अंकसूची
- मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) उम्मीदवारों के लिये अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र (जो लागू हो)
- नवीनतम आय प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)

- टीप:-
- 1) यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण दस्तावेजों के सत्यापन के लिये स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से दस्तावेजों के सत्यापन कराने के लिये उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सीएमओ/सिविल सर्जन द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करे। यदि बाद में यह पाया जाए कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने का उत्तरदायी होगा।
  - 2) उम्मीदवारों को सहायता केन्द्रों पर मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापिस कर दिये जावेंगे।
  - 3) सहायता केन्द्र, उम्मीदवारों को Eligible/Not Eligible की पावती जारी करेंगे।
  - 4) Not Eligible उम्मीदवार सत्यापन की अंतिम तिथि के पूर्व पुनः उपस्थित होकर अपने सही/चाहे गये दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकते हैं।

#### महत्वपूर्ण :-

- ✓ दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत उम्मीदवार को प्रथमतः प्राप्त पासवर्ड को अनिवार्य रूप से सुरक्षा की दृष्टिकोण से बदल लें तथा बदले हुए पासवर्ड को किसी को न बताएं।
- ✓ अगली बार उम्मीदवार अपने Application Number (रोल नंबर), जन्म तिथि एवं परिवर्तित पासवर्ड का उपयोग कर लागईन कर सकेंगे। उम्मीदवार जब भी लॉगईन करे अनिवार्यतः अंत में सुरक्षा की दृष्टि से लॉगआउट भी करे।
- ✓ सभी उम्मीदवार सुनिश्चित कर ले कि काउंसिलिंग की प्रक्रिया के लिये पासवर्ड सुरक्षित व गोपनीय रखें ताकि समय-समय पर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करने में परेशानी न हो।
- ✓ पासवर्ड भूल जाने/गुम जाने की दशा में उम्मीदवार के द्वारा पंजीयन के समय जो अतिरिक्त जानकारियां दी गई हैं, उनका उपयोग कर नया पासवर्ड प्राप्त किया जा सकता है।
- ✓ उम्मीदवार को यह सुविधा रहेगी की वह कभी भी अपना पासवर्ड बदल लें।

### 3. मेरिट सूची की वेबसाइट पर उपलब्धता (Availability of Merit List on Website)

ऑनलाइन आवेदन उपरांत जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित सहायता केन्द्रों से अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवा लिया है उनकी मेरिट सूची उपरोक्त सारणी में दर्शाई गई तिथि को वेबसाइट [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर जारी कर दी जावेगी।

### 4. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, प्राथमिकताक्रम का चयन तथा आंशिक शिक्षण शुल्क का भुगतान (Online Registration, Preference/Choice Filling and Part Payment of Tuition Fee)

सहायता केन्द्र पर दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा पाठ्यक्रमवार संस्थाओं की प्राथमिकताक्रम का चयन कर सकेंगे। इस कार्यवाही के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा—

- उम्मीदवार पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराये। रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरांत उम्मीदवार को पासवर्ड प्राप्त होगा। तत्पश्चात् अपने लॉगइनआईडी/पासवर्ड से लॉगइन कर संस्थाओं/पाठ्यक्रम की प्राथमिकताक्रम का चयन करें।
- उम्मीदवार कम से कम एक तथा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध संस्थाओं/ब्रांचों का प्राथमिकतानुसार ऑनलाईन चयन कर सकेंगे। जिसे निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व शुल्क के भुगतान करने पर अंतिम रूप से लॉक किया जा सकेगा।
- अपनी पसंद/प्राथमिकताक्रम को लॉक करने के पूर्व उम्मीदवार अपनी पसंद/प्राथमिकताक्रम को अपनी संतुष्टि के लिये कई बार बदल सकते हैं। शुल्क का भुगतान करने के बाद पसंद/प्राथमिकता लॉक हो जावेगी तथा उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को ₹ 20/- पोर्टल शुल्क देना होगा तथा
- च्वाइस लॉक करने के लिये अनारक्षित श्रेणी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आंशिक शिक्षण शुल्क ₹ 10080/- (₹ 80/-पोर्टल चार्जस सहित) तथा मध्यप्रदेश के आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) उम्मीदवारों को शुल्क ₹ 1080/- (₹ 80/-पोर्टल चार्जस सहित) का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान **अंतिम पृष्ठ में दर्शाये किसी भी विकल्प** के माध्यम से किया जा सकता है। शिक्षण शुल्क के भुगतान एवं च्वाइस को लॉक करने के बाद उम्मीदवारों को एक पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का ब्यौरा तथा उनकी च्वाइस का क्रम प्राथमिकताक्रम के अनुसार मुद्रित होगा। उम्मीदवार इस पावती को संभालकर अपने पास रखें।

## 5. ऑनलाइन आवंटन (Online Allotment)

उम्मीदवारों द्वारा भरी गई प्राथमिकताक्रम के आधार पर कॉमन मेरिट रैंक के अनुसार निर्धारित समय-सारणी के अनुसार उम्मीदवारों को आवंटन जारी किया जावेगा तथा आवंटन-पत्र में आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम का उल्लेख रहेगा। उम्मीदवार अपने लॉगइनआईडी/पासवर्ड का उपयोग कर इसका आवंटित संस्था/ब्रांच का आवंटन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करेंगे।

## 6. आवंटित संस्था में उपस्थिति तथा आवंटित संस्था में दस्तावेजों का सत्यापन (Reporting at Alloted Institute and Document Verification)

उम्मीदवारों को प्रवेश लेने हेतु आवंटित संस्था में अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र तथा आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करेंगे।

आवंटित संस्था में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर प्रवेश प्राप्त करना होगा:—

- उम्मीदवार के दस्तावेजों का सत्यापन संस्था के अधिकृत अधिकारी उनकी संस्था के लिये जारी किये गये लॉगइनआई एवं पासवर्ड से कन्फर्म करेंगे तथा
- रिपोर्टिंग के तुरंत बाद ऑनलाइन प्रवेश पर्ची का प्रिंटआउट जोकि संस्था के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरित होगी, उम्मीदवारों को आवश्यक रूप से दी जावेगी।
- किसी भी परिस्थिति में मूल प्रमाण-पत्र संस्था में जमा नहीं करने हैं।

### महत्वपूर्ण टीप:—

- प्रवेश नियम वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व प्रवेश नियमों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखें। संस्थाओं/शाखाओं की सूची अपने पास रख लें जोकि प्राथमिकताक्रम निर्धारित करने के लिये सहायक होगी।
- उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि वे अपने अर्हकारी परीक्षा एवं अन्य योग्यता प्रवेश हेतु पूर्ण करते हैं। आवंटित संस्था में सभी उम्मीदवारों के अर्हकारी परीक्षा तथा अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान कमी पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी। प्रवेश हेतु पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों के लिये प्रवेश नियमों का अध्ययन अवश्य कर लें।
- सभी उम्मीदवार कृपया सुनिश्चित कर ले कि काउंसिलिंग की प्रक्रिया के लिये जो **पासवर्ड** रहेगा उसे सुरक्षित रखें ताकि समय-समय पर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करने में परेशानी न हो। ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिये उम्मीदवारों द्वारा जो ई-मेल आईडी तथा मोबाईल/फोन नंबर दिया गया है, उसे अवलोकन करते रहें क्योंकि काउंसिलिंग के विभिन्न स्तरों पर उम्मीदवारों को इनपर जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी।
- च्वाइस फिलिंग तथा शुल्क का भुगतान करते समय यदि किसी तरह की कठिनाई आये तो वे वेबसाइट में दिये गये **Payment Status, User Grievances, Forgot Password, Reprint Receipt** आदि **Links** का उपयोग करें।
- ऑनलाइन काउंसिलिंग के विभिन्न स्तरों पर किये जाने वाले शुल्क का भुगतान निम्नलिखित किसी भी माध्यम से किया जा सकता है:— इंटरनेट बैंकिंग (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/स्टेट बैंक ऑफ इंदौर/एक्सिस बैंक) द्वारा/क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीजा कार्ड) ICICI Bank or State Bank of India के Gateway द्वारा/ATM-cum-Debit Card: Maestro Card (State Bank of India के Gateway द्वारा)/AXIS बैंक के पे-स्लिप द्वारा/सभी अधिकृत सहायता केन्द्रों पर नगद भुगतान द्वारा/एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान द्वारा

तृतीय चरण की काउंसिलिंग के उपरांत रिक्त रह गयी/ड्रापआउट सीटों के लिये चतुर्थ चरण की काउंसिलिंग संस्था स्तर पर की जावेगी जिसके लिये दिशा-निर्देश यथासमय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

प्रवेश नियम, सीटों का विवरण, संस्थानों के विवरण, संस्थानों की ट्यूशन फीस तथा सहायता केन्द्रों/कियोस्क केन्द्रों आदि की जानकारी एमपीऑनलाइन की वेबसाइट [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) तथा सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट [www.dtempcounselling.org](http://www.dtempcounselling.org) पर उपलब्ध रहेगी।

पूछताछ के लिये संपर्क दूरभाष क्रमांक (0755) 4002361 / 4002362 / 4002363 / 4002364 / 4002365 / 2660554 / 2660434 / 2660441

अध्यक्ष—काउंसिलिंग समिति एवं  
संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश